हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/9/24 [illegible] अपीलांट अधिवक्ता के साथ अपीलांट स्वयं के हाजिर होने पर पेश की गई। अपीलांट ने स्पष्ट किया कि अपील एवं रेस्पोंडेंट के मध्य लोक अदालत की मध्यस्थता से समझौता हो चुका है। अतः अपील को लोक अदालत के स्तर पर अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति रखते हुए Not Pressed के रूप में स्वीकृति प्रदान की। अपीलांट के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपीलांट स्वयं के कथनों पर कि वह केस Not Pressed करते हुए अपील को वापस लेना चाहते हैं, की स्वीकृति प्रदान की जाती है। और अपीलांट द्वारा दिनांक 22.05.2024 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है। अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति रखते हुए अपील अपीलांट के पक्ष में खारिज की जाती है। पत्रावली दस्तूर खारिज होकर नम्बर से कम की जाकर दुल अभिलेखागार में दाखिल हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.15 16:49:08 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner